उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग–2
संख्या–1369/62–2–2018–2/4(04)/2018
लखनऊः दिनांकः 17 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप

लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता सूची शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3366/62–2–2005–2/5(12)/2004, दिनांक 30.08.2005 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष योजित सिविल अपील संख्या–3348/2015(अराइजिंग आउट आफ एसएल0पी0 (सिविल) संख्या–18683/2014) सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग बनाम नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी में ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.04.2015 के आपरेटिव अंश निम्नवत् हैः–

"In such circumstances, when the rules provide that such ad hoc appointments have to be regularized and seniority counted from the date of appointment, the writ petitioner could not be deprived of the past service rendered by him from 12th June, 1985 till the date of regularization. It is not a case of appointments made without due selection or without vacancy or without qualification or in violation of rules. The larger Bench failed to observe that the appointment of the writ petitioner was not dehors the rules nor by way of stop gap arrangement. The rules had the effect of treating the appointment as a regular appointment from initial date of appointment.

We, therefore, direct the State to redetermine the seniority after hearing the affected parties within six months. It is made clear that benefit of redetermination of seniority at this stage will not disturb holding of posts by any incumbent and except for benefit in pension other benefits to which the writ petitioner may be found entitled will be given only on notional basis."

3. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 07.04.2015 के क्रम में लघु सिंचाई विभाग के कतिपय सेवानिवृत्त/कार्यरत अभियंताओं द्वारा तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से ज्येष्ठता अवधारित किये जाने एवं तद्नुसार सेवा लाभ प्रदान किये जाने संबंधी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये।

A.E.Sini.-179

4. उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रत्यावेदनों पर कार्यवाही के संबंध में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया, जिसमें न्याय विभाग द्वारा निम्न परामर्श दिया गया है:-

"नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी के मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय उद्धारा सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनकर पुनः वरिष्ठता सूचना निर्धारित किये जाने का आदेश पारित किया है और संबंधित विभाग द्वारा उपरोक्त प्रकरण में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गयी थी, जिसकारण आर0के0 महतानी एवं श्री जी0सी0 गुप्ता व अन्य की ज्येष्ठता का पुनर्निधारण किया जाना अपेक्षित है। विधि के अनुसार उपरोक्त निर्णय In personam नहीं है।

मा0 उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेशों के बावजूद भी जिनमें यह निर्धारित किया गया था कि यदि वरिष्ठता एक बार व्यवस्थित हो गयी है तो उसे पुनः काफी वर्षो के व्यतीत हो जाने के उपरान्त उसे अव्यस्थित नहीं किया जायेगा, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी के मामले में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2015 के उपरान्त प्रशासकीय विभाग की विधिक बाध्यता है कि पुनः वरिष्ठता को निर्धारित किया जावे।"

5. *मा0 उच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या-2253(सी)/2017, रमाकान्त तिवारी बनाम श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.02.2018 का आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-*

"In the meantime, the opposite party may process seniority list and make endeavour to finally decide the same, so that DPC for promotion can be held. "

6. मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में न्याय विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार विभाग में ज्येष्ठता सूची के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही प्रचलित करते हुए शासन के पत्र संख्या-369/62-2-2-2018-2/4(26)/2012, दिनांक 01.02.2018 एवं पत्र संख्या-369-1/62-2-2-2018-2/4(26)/2012, दिनांक 06.02.

2018 द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.08.2005 को मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.04.2015 के परिपालन में पुनर्निधारित किये जाने हेतु सभी संबंधित अभियंताओं को सूचित करने तथा इस संबंध में प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों को आख्या सहित शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.02.2018 द्वारा विशेष सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के क्रम में ज्येष्ठता के पुनर्निधारण एवं प्राप्त प्रत्यावेदनों पर अभिमत/संस्तुतियां उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

7. उक्त के क्रम में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा समस्त संबंधित अभियंताओं को परिपत्र निर्गत करते हुए प्रत्यावेदन मुख्य अभियंता कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी तथा इससे संबंधित विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गयी।

8. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र संख्या–जी–786, दिनांक 28.02.2018 द्वारा उक्त के संबंध में प्राप्त 44 प्रत्यावेदनों सहित शासन को आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

9. प्राप्त प्रत्यावेदनों में कतिपय सेवानिवृत्त/कार्यरत अभियंताओं द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.04.2015 के क्रम में तदर्थ नियुक्ति की दिनांक से ज्येष्ठता पुनर्निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया एवं कतिपय अभियंताओं द्वारा ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.08.2005 को यथावत बनाये रखने का अनुरोध किया गया।

10. ज्येष्ठता के पुनर्निधारण के संबंध में विशेष सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 28.03.2018 द्वारा अपनी संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी।

11. अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.04.2015 एवं अवमाननावाद संख्या–2253(सी)/2017, रमाकान्त तिवारी बनाम श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं

भूगर्भ जल विभाग में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.02.2018 के परिपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3366/62–2–2005–2/4(12)/2004, दिनांक 30.08.2005 द्वारा निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची को अवक्रमित करते हुए लघु सिंचाई विभाग में नियुक्त सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता अवधारित करते हुए जुलाई 2016 से कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अभियंताओं की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार की गई है, जो संलग्न है।

12. शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.08.2005 द्वारा सहायक अभियंताओं की निर्गत ज्येष्ठता सूची में श्री रमाकान्त तिवारी की ज्येष्ठता मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–1531/1991 के वर्ष 2011 के डिसमिस होने एवं पूर्ववर्ती आदेश के स्थगन आदेशों को समाप्त करने की स्थिति में श्री रमाकान्त तिवारी के पदोन्नति आदेश भी शासन द्वारा दिनांक 25.01.2002 को श्री इन्तजार अली की पदोन्नति की तिथि दिनांक 27.08.1993 से दिये जाने का औचित्य न पाते हुए लोक सेवा आयोग द्वारा चयनोपरान्त दी गयी प्रोन्नति तिथि 28.05.1998 से लोक सेवा आयोग की संस्तुति में अंकित चयन क्रम के अनुसार श्री विशम्भर दयाल के नीचे अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में रखा गया है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यह बिन्दु मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त संदर्भित निर्णय दिनांक 07.04.2015 से प्रभावित नहीं है, अपितु श्री इन्तजार अली की पदोन्नति तिथि के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–1531/1991 में दिये गये निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा निर्णीत किया गया है।

13. सूची में उल्लिखित किसी भी अभियंता की शासनादेश दिनांक 30.08.2005 द्वारा अवधारित पारस्परिक ज्येष्ठता मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.04.2015 से प्रभावित नहीं हुई है।

14. तदर्थ नियुक्ति की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानने के संबंध में निर्णय कार्मिक, न्याय एवं वित्त विभाग के